1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS

कार्यालय, प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ,भोपाल

क्रमांक 5566 / 95 / प्र, अ, / मोनि,लो,स्वा,यां, वि, भोपाल, दिनाकं 18मई1995
प्रति

मुख्य अभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र– इन्दौर / रायपुर / ग्वालियर / जबलपुर / भोपाल (म,प्र,)

विषयः– ग्रामीण नलजल योजनाओं के संबध में

उपरोक्त ग्रमीण योजनाओं के संबध में विभाग एवं शासन द्वारा समय समय पर निदेश प्रसारित किये गये हैं इसके बावजुद योजनाओं में उन बिन्दुओं का समावेश नहीं किया जाता है जिसके कारण प्रशाकीय स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब होता है ,
ग्रामीण योजनाओं में निम्न बिन्दुओं का समावेश होना उचित आवश्यक हैः
–

(1) सभी प्रकार की नलजल योलनाओं की तकनीकी स्वीकृती परीक्षण उपरानत द्वारा ही दिया जाना है
(2) ग्रमीण योजनाओ ंके साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव योजना पुर्ण होने पर संचालक एवं संधारण हेतु सहमति एवं ग्रम पंचायत की आर्थिक क्षमता के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षो का आय–व्यय का पत्रक जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हों, संलग्न होना चाहिए ,
(3) टंकी की स्टेजिंग हेतु गणना चार्ट (केल्कुलेशन) तथा प्रेशर चार्ट संलग्न हो,
(4) योजना के स्त्रोत का उचित परीक्षण किया जाकर इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाना चाहिए,
(5) योजना की तकनीकी संक्षेपिका योजना के साथ होना आवश्यक है
(6) योजना के लिये आवंटन , वितीय व्यवस्था का पूर्ण विवरण, विश्लेषण दिया जावे तथा वितीय वर्ष में प्रस्तुत योजना के लिये बजट प्रावधान की स्थिति भी दर्शायें ,

(7) ग्रामीण योजनाओं में समतल क्षेत्र में प्रति लागत रूपये 300 / – एवं पहाडी क्षेत्रो मे प्रति व्यवित लागत रूपये 500 / – से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा इन योजनाओं को भारत शासन की और भेजा जाना होगा

(8) योजना 25,00 लाख रूपये से अधिक लागत की नहीं होना चाहिए ,
(9) योजना में प्रति व्यवित पानी की आवश्यकता 70 लीठर होना चाहिए ,
(10) ग्राम को समस्यामूलक ग्राम घोषित किया गया है या नहीं इस बात का भी उल्लेख हो
(11) ग्राम की आबादी 1991 ेकी जनणनानुसार 2000 से अधिक होना चाहिए एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी एवं उनका प्रतिशत भी बताया जावे ,
(12) पाईप द्वारा जल आपुर्ति योजनाओ ंपर अधिक पुंजी खर्च करनी होती है इसलिये इन्हें केवल उन क्षेत्रों मे आरंभ किया जाना चाहिए जहॉ पीने योग्य पानी का कोई स्त्रोंत अथवा कम लागत वाला अन्य विकल्प नहीं है
(13) ग्रामीण योजनाओं मं सुपरविजन चार्जेस टी, एण्ड पी, चार्जेस एवं वर्क चार्ट चार्जेस जोडा जाता है , जो कि उचित नहीं ग्रामीण योजनाओं में केवल कन्टेनजेन्सीज चार्जेस के अलावा अन्य राशि न जोडी जावे ,
(14) पाईप लाईन का जल वितरन नलिकाओं का स्वच्छ रुपांकन एवं विवरण में (डेड एण्ड) न्युज होने संबंधी ध्याान रखे .
(15) योजना के साथ सभी प्रकार के नक्से ,ग्रम का नक्शा ,स्टारी चार्ट इत्यादी हो.
(16) योजना की कमसे कम 5 प्रतियां उपलब्ध कराई जावे जो कि मुख्यअभियंता व्दारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त हो.

निर्माण कार्य की स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग व्दारा निर्देशत निम्नलिखित ं बिदुओं की संक्षेपिका आवश्क रूप से योजना के साथ संलग्न हो:–

1. निर्माण कार्य का नाम;स्थान; जिला आदि .
2. निर्माण के विस्तृत प्राक्कलन की लागत जो प्रस्ताव के साथ उपलब्थ हो
3. वर्तमान व्यवस्था का विवरण देते हुए निर्माण कार्य की आवश्कता एंव औचित्य.
4. बजट में उपलब्ध प्रावधान किस वर्ष नवीन वर्ग के रूप में सम्मिलत किया गा था.
5. यदि कार्य बजट में शामिल किया जाना है तो कितनी राशि आवश्यक है.
6. वित्तीय साधनों के उपलब्धता अनुसार कार्य कितने वर्षों में पूर्ण कराया जाना हैं वर्षवार उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि.
7. क्या कार्य के लिए कोई केन्द्रीय/बाहरी सहायता प्राप्त हुई है अथवा ंहोना है संबंधित पत्र का संदर्भ देते हुए उसकी प्रकरण में रखें .
8. क्या निर्माण कार्य के लिए निर्विवाद रूप से शासकीय भूमि उपलब्ध है यदि नही कब तक उपलब्ध होगी या उसकी प्रक्रिया चल रही हैं तो इस पर कार्य के अतिरिक्त कितना व्यय होगा ,
9. कार्य लागत रूपये 50.00 लाख से अधिक होने पर राज्य योजना मंडल ंका अनुमोदन /मत
10. आदिवासी क्षेत्र /हरिजन विशेषांशक का कार्य होने पर आदिम जाति कल्याण विभाग का अनुमोदन
11. उपरोक्त प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करें
12. संक्षेपिका में ऐसी अन्य आवश्यक जानकारी जो उक्त बिन्दुओं के अन्तरगत नही हैं यथा स्थान दी जावें

हस्ता./–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 5566/95/प्र.अ./मोनि/लो.स्वा.यां.वि. , भोपाल, दिनाकं 18मई1995
प्रतिलिपि :

1. अधीक्षण यंत्री ;लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ....(म. प्र.)

2. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ख्ण्उ.................(म. प्र.) की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषित.

हस्ता /–
प्रमुख आभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,
मध्यप्रदेश ,भोपाल